# RAJYA SABHA

*Friday, the 27th November, 1992/6 Agrahayana, 1914 (Saka)*

The House met at eleven of the clock. Mr. Chairman in the Chair.

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति पर रोक

*61. श्री शांति त्यागी :
श्री एच. हनुमनतप्पा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई पुनर्वास योजना बनाई गई है?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRIMATI K. KAMALA KUMARI) : (a) and (b) No, Sir. However, a Bill was drafted in 1989 for prevention of begging.

(c) The Government is examining various aspects of the rehabilitation of beggars.

**श्री शांति त्यागी** : माननीय सभापति जी, किसी भी देश में ये लज्जा की बात है कि वहां कुछ लोग भीख मांगते फिरें। हमारे देश में भिखारियों की बड़ी संख्या उन लोगों की है जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। ये गरीबी और बेरोजगारी जब तक है, भीख मांगना पूरे तौर पर खत्म नहीं होगा। खुशी की बात है कि केन्द्रीय सरकार गरीबी हटाने और भीख कुछ कम करने के लिए कुछ प्रयास कर रही है, कदम उठा रही है, जो खुशी की बात है।

माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह बहुत कमजोर है, पूअर है, क्लियर नहीं है। न ये बताया आपने कि 1989 का जो बिल था भीख पर प्रतिबंध लगाने का, वह पेंडिंग में क्यों डाल रखा है। न आपने ये बताया कि भिखारियों के पुनर्वास की जो योजनाएं हैं उनका विवरण क्या है बिल्कुल एक-डेढ़ लाइन में जवाब खत्म कर दिया। बहुत कन्फ्यूजिंग है, बहुत पुअर है।

मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई सर्वे कराया है, कोई गणना कराई है जिससे यह मालूम हो कि देश में भिखारियों की कुल तादाद कितनी है और इसी के साथ, इससे जुड़ा हुआ है कि भिखारियों में बच्चे भी हैं, बूढ़ी औरतें भी हैं, विकलांग भी हैं और हट्टे-कट्टे नौजवान भी हैं, कई साधुओं के वेश में हैं। इनके रिहैबिलिटेशन की अलग-अलग योजनाएं क्या होंगी, इस पर भी मंत्री जी प्रकाश डालें। बिल्कुल बताया नहीं गया है। यह कहा गया है कि एक्जामिन कर रहे हैं। यह मंत्री जी कृपया बताएं।

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : माननीय सभापति महोदय, ये सच है कि भिखारियों की कोई गणना नहीं हुई है और एक बात और हम कहना चाहते हैं। ये सच है कि 1989 में इस संबंध में एक बिल बनाने की रिपोर्ट तैयार हुई है। जहां तक इन्होंने कहा कि भिक्षावृत्ति हटाने का बिल कब ला रहे हैं तो मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ये जो बिल तैयार हुआ था, अभी मैंने पुनः उसकी जांच करना इसलिए शुरू किया है क्योंकि ये चारों ओर चर्चा का विषय है और यह भी सत्य है कि भिक्षावृत्ति हटाने के पूर्व में हमें भिखारियों को रिलीफ और उनका मुआवजा और उनको किस तरह से हम रखें, क्योंकि भिक्षावृत्ति के कई कारण हैं, उन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए मैंने बिल को पुनः अपने विचार के लिए, थोड़ी उसकी छानबीन करने के लिए रोक रखा है।

**श्री शांति त्यागी** : सभापति जी, एक प्रश्न और करूंगा कि क्या सरकार बैगिंग कम करने, रोकने और उन भिखारी भाइयों को जिंदगी की सही राह पर लाने के लिए जो वालंटियरी आर्गनाइजेशंस हैं, इनका सहयोग लेगी और क्या उन्हें आर्थिक सहायता भी देगी?

*सभा में यह प्रश्न श्री शांति त्यागी द्वारा पूछा गया।

**श्री सीताराम केसरी** : सभापति महोदय, मैं साफ इस सदन में आश्वासन देना चाहता हूं और देता हूं कि नान-गवर्नमेंटल आर्गनाइजेशंस अगर इस दिशा में भिखारियों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए सामने आएंगी तो मैं उसका स्वागत करूंगा । यह सच है कि भिक्षावृत्ति में कई क्लासिफिकेशन हो सकते हैं । एक तो धार्मिक मान्यताओं के कारण भी भिक्षावृत्ति है । एक आर्थिक अभाव के कारण भी भिक्षावृत्ति है और कुछ ऐसे लोग जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं वे गैंग बनाकर स्ट्रीट के बच्चों से, बेसहारा बच्चों से भिक्षावृत्ति कराते हैं। एक पेशा हो गया है । इसलिए इन तीनों पहलुओं पर विचार करना है तो यह सच है कि किसी भी सभ्य देश, सभ्य समाज, सभ्य राज्य के लिए भिक्षावृत्ति एक स्टिगमा है मगर हमारे देश में जैसा खुद हमारे माननीय सदस्य ने कहा है आर्थिक अभाव के कारण भी भिक्षावृत्ति है और शारीरिक विकलांगता के कारण भी है, इस सारी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस बिल को मैंने पुनः विचार करने के लिए सोच रखा है ।

SHRI H. HANUMANTHAPPA : Mr. Chairman, Sir, article 39 of the Constitution provides that 'the State shall, in particular, direct its policy towards securing that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter into avocations unsuited to their age or strength.'

The hon. Minister has also recognised the causes of beggary. It can be economic. It can be social. It can be religious. The situation is very alarming, particularly, when we see organised gangs exploiting young children for their purposes and forcing them into begging. The problem has assumed serious proportions. Of course, already, in 15 States and 2 Union Territories, they have legislation and they are also undertaking beggary relief programmes. But in the whole country, the number of people rehabilitated is just 14,000, when the number of beggars in the country is a staggering 15 lakhs odd. The rehabilitation arrangements are meagre.

Sir, the Bill was actually prepared in 1989. The Minister has said—rightly so —that it requires reconsideration. Resources also have to be mobilised. In view of the alarming situation, in view of the meagre arrangements for rehabilitation, by what time is the Minister coming forward with a comprehensive Bill, in order to remove this stigma—the hon. Minister himself has accepted that this is a stigma—on the society? How soon is the Government coming up with this Bill?

**श्री सीताराम केसरी** : सभापति जी, माननीय सदस्य ने खुद ही कहा कि 15 स्टेटों में बैगरी अवैधानिक करार है, कानून बना हुआ है । यह सब्जेक्ट स्टेटों का है । यह प्रश्न हमारे सामने इसलिए उठ कर आया है कि दिल्ली एक यूनियन टेरीटरी है और सेन्टर के अंतर्गत पड़ता है । हम परामर्श दे सकते हैं स्टेटों को । जो इन्होंने कहा कि बिल कब तक लाएंगे तो बिल की जब परीक्षा होने लगती है तो उसमें समय लगता है। कुछ सुझाव ऐसा भी है कि इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए । सभापति जी, जैसा मैंने कहा कि कुछ भिक्षाटन धार्मिक सैक्शन भी है । इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का बिल राष्ट्रीय स्तर पर लाने की बात है । यों यह स्टेट सब्जेक्ट है मगर जो स्टेट सेन्टर के अंतर्गत है वहां पर जो यह बिल चल रहा है, जैसे कि दिल्ली में बाम्बे बैगरी एक्ट है, इस संबंध में जो समाचार आया है कंसर्न का है । इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए 1989 में यह बिल ड्राफ्ट हुआ और अब उसकी परीक्षा इसलिए पुनः शुरू की कि कई इम्पोर्टेंट जगहों से अच्छे-अच्छे राइटर्स, बुद्धिजीवियों ने कंसर्न एक्सप्रेस किया है और मैं भी मानता हूं भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए कई वर्गीकरण जैसा मैंने पहले बताया आर्थिक, धार्मिक और रैकेटियर्स जिससे लोग मोबिलाइज करके बहुतों को धोखा देते हैं, बच्चों को बुरी तरह रखते हैं । उनके लिए कानून बनने की बात सोचते हैं । मगर इसके और भी अंग हैं । जब तक उनके पुनर्वास का प्रबंध न हो, यह साफ विचार है कि तब तक भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के बिल पर सोचना ही पड़ेगा ।

**श्री अजीत जोगी** : सभापति जी, कोशिश तो पहले यह होनी चाहिए कि जो देश बाहर जा कर भीख मांग रहा है हम लोग उसको रोकें । फिर देश के अंदर भिक्षावृत्ति की बात आती है ।

SHRI SUKOMAL SEN : Sir, the point is, this proposal to ban begging itself is an absurd thing in our country. Begging is there because of the impoverished masses. So, until and unless we make some economic progress, it is useless to ban begging. If the people are hungry, if they do not get food, they will beg.

There is a law in our country prohibiting prostitution, yet some such thing is going on. Therefore, you cannot ban begging in our country.

SHRI H. HANUMANTHAPPA : West Bengal has got the maximum beggars in our country.

SHRI SUKOMAL SEN : You should be happy.

**श्री अजीत जोगी** : जब तक वहां ममता बनर्जी मुख्य मंत्री नहीं बनती है तब तक यह समस्या हल नहीं होगी ।

MR. CHAIRMAN : The question is not of national begging, but individual begging.

SHRI SUKOMAL SEN : I do not know what is the relation between begging and Kumari Mamata Banerjee's becoming Chief Minister. Anyway, begging is the result of the poor economic policy being pursued by the Government. Is the Government going to change it so that our country makes progress economically? Also, when an Act is passed to ban begging, first of all it should be applied to the Union Finance Minister of the country who is going to various countries with a begging bowl.

MR. CHAIRMAN : I am afraid, the question does not relate to the main question.

SHRI V. NARAYANASAMY : You stop beggary in your own state and then you come to other areas. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : The question is not really relevant. Yes, Mr. Sahu.

SHRI SUKOMAL SEN : The second part of my question may not be relevant, but what about the first part?

**श्री रजनी रंजन साहू** : सभापति जी, जहां यह प्रश्न उन भिखारियों से संबंधित नहीं है जिन्हें रिलीजियस सैंक्शन मिली हुई है और न ही . . . (व्यवधान) ।

MR. CHAIRMAN : This question does not arise.

SHRI SUKOMAL SEN : But the first part of my question is relevant. He must reply to that.

(*Interruptions*).

**श्री रजनी रंजन साहू** : सभापति जी, जहां प्रश्न उन भिखारियों से संबंधित नहीं है जिनको रिलीजियस सैंक्शन मिली हुई है। जोगी जी ने बीच में जो प्रश्न उठाया वह देश के बैगिंग के संबंध से जुड़ा हुआ है । यहां यह रेलेवेन्ट नहीं है । वैसे तो कहा जाता है कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। यहां प्रश्न यह है कि भिखारी वृत्ति को असामाजिक तत्व प्रोत्साहित करते हैं ऐसे तत्वों को रोकने से है । इसी दिल्ली शहर में ऐसे कितने अड्डे हैं जहां पर असामाजिक तत्व पुलिस की मदद से गरीब और असहाय बच्चों को गांवों से लाकर भिक्षावृत्ति करवा कर अपना भरण-पोषण करते हैं और भीख से अपना पैसा और महत्व बनाते हैं । क्या मंत्री महोदय ऐसे अड्डों पर रेड करवाएंगे और कम से कम दिल्ली शहर को भिक्षावृत्ति और भिखारियों से मुक्त करवाएंगे ?

**श्री सीताराम केसरी** : सभापति जी, माननीय सदस्य ने यह सत्य कहा, इस तरह भी है, जैसा मैंने पहले कहा । जहां तक रेड कराने का प्रश्न है, प्रादेशिक सरकार और यूनियन टैरीटरी में, मेरा ख्याल है कि जब कभी उन्हें खबर मिलती होगी, वे इस तरह की चीजें कानून के अंतर्गत करते होंगे। मगर जहां तक भिक्षावृत्ति और भिखारियों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने का प्रश्न है, इन सब को दृष्टिगत रखते हुए 1989 का जो ड्राफ्ट बिल है, उसको, मैंने पुन: उसकी छानबीन करने के लिए अभी स्थगित रखा है। उसके बाद मैंने जैसा निवेदन किया यह एक राष्ट्रीय बहस की चीज है और यह बहुत दूर तक,

धार्मिक और आर्थिक मसलों से संबंध रखती है । यह मैंने पहले भी कहा और फिर मैं इसे दोहराता हूं ।

**श्री रजनी रंजन साहू** : दिल्ली के संबंध में उत्तर नहीं मिला ।

**श्री सीताराम केसरी** : मैंने दिल्ली के संबंध में कहा कि स्थानीय सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में कार्यवाही करती होगी । अगर नहीं करती है तो उसे करना चाहिए ।

**श्री ईश दत्त यादव** : माननीय सभापति जी, भिक्षावृत्ति देश में भिखारियों की संख्या बढ़ना, यह देश के लिए चिंताजनक और कलंक की बात है । 45 वर्षों में सरकार ने इस समस्या का हल नहीं किया । सरकार में निष्क्रियता और इच्छा शक्ति की कमी मालूम पड़ती है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तीर्थस्थलों पर, जैसे प्रयाग है, काशी है, दूसरे तीर्थस्थल हैं, यहां भिखारियों की संख्या बहुत अधिक रहती है । ये भिखारी बेकारी के कारण मजबूर-वश भिखारी तो हैं ही लेकिन इन तीर्थस्थलों पर मान्यवर, अपराध भी बढ़ते चले जा रहे हैं । मैं अपना प्रश्न सीधे पूछ रहा हूं ।

MR. CHAIRMAN : Please conclude your question.

**श्री ईश दत्त यादव** : मैं समाप्त कर रहा हूं । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार कितने समयबद्ध समय में इन भिखारियों के लिए शरण की व्यवस्था कर लेगी और इन तीर्थस्थलों पर जो भिखारियों की संख्या बढ़ रही है, क्या इस पर सरकार नियंत्रण करेगी ताकि इनकी समस्या हल हो और अपराध कम हों ?

**श्री सीताराम केसरी**: सभापति जी, यह सत्य है कि धार्मिक स्थलों पर भिखारियों की संख्या अधिक होती है और धार्मिक स्थलों पर जो बड़े-बड़े सेठ, साहूकार, राजे-महाराजे पुण्य कमाने के लिए जाते हैं वे भी दान देना चाहते हैं। तो सोचने की बात जरूर है कि दोनों को किस तरह से एक कर दिया जाए। उनके लिए कुछ भिखारियों के होम बना दिए जाएं यह भी सोचने की बात है । मैं एक और बात यहां कहना चाहता हूं कि हमारे विभाग ने अभी योजना विभाग से निवेदन किया है और यह विचाराधीन है, चाहे सेंक्शन भी हो गया होगा, पहली बार हमने एक अलोकेशन मांगा है । यह दो करोड़ रुपए का अलोकेशन पांच सालों में उन स्टेटों को जहां इस तरह के होम बनाए हुए हैं, भिखारियों के लिए, वहां पर उनको थोड़ी बहुत सहायता कर सकते हैं । क्योंकि सरकार आज आर्थिक संकट से गुजर रही है लेकिन फिर भी इसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए । मैं चाहूंगा और योजना आयोग से निवेदन करूंगा कि हमें वह इस काम के लिए धन दें जिससे हम उनकी मदद कर सकें ।

SHRI MURASOLI MARAN : Sir, prohibition of begging by legislation alone will not solve the problem. During the DMK regime in Tamil Nadu, we had created many *Iravalar Illams*—rehabilitation centres. So, what we have to do is, besides legislation we should create rehabilitation centres for the beggars so that we can teach them some skills with the result that they may not go in for begging. Will the hon. Minister come forward to create rehabilitation centres in all the States ? And the amount he wanted, that is, Rs. 2 crores, is a paltry sum. So, will he fight for more funds and will he also fight for creating more rehabilitation centres in all the States ?

SHRI SITARAM KESRI : Sir, I would like to inform the hon. Member that in the different States there are rehabilitation centres for beggars, and in almost 15 States they are there. There is one in Delhi also. Altogether 105 centres are running under the State Governments and the Union Territories. The accommodation is for 21,070, and already accommodated is 16,128. This is why I have requested the Planning Commission that we should be given allocation so that I can help them also to run the relief centres for beggars.